तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
29/08/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कई समय से तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी बावजूद आवाजें दिलाने के विपक्षीगण अनुपस्थित। अतः विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण के पत्रावली पर बहस सुनी गयी। आदेश अलग से लिखकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जावे तो पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे पत्रावली नियम अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

संख्या : 107 / 2023

र्थीगण :—
1. अचलाराम पुत्र अमराराम
2. खूमाराम पुत्र अमराराम
3. चूनाराम पुत्र अमराराम
4. पनीदेवी पत्नी अमराराम
5. हनुमानराम पुत्र अमराराम
जाति जाट निवासी रोली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :—
1. आनन्दकुमार पुत्र मोडाराम
2. इन्दुदेवी पत्नी मोडाराम
3. खेराम पुत्र ईशराराम
4. गंगाराम पुत्र नारणाराम
5. गोमीदेवी पत्नी नारणाराम
6. गोरधनराम पुत्र मोडाराम
7. चेनाराम पुत्र मोडाराम
8. जेठाराम पुत्र मोडाराम
9. बाबूलाल पुत्र नारणाराम
10. भींयाराम पुत्र नारणाराम
11. रूगाराम पुत्र खंगाराराम
12. वीरमाराम पुत्र नारणाराम
जाति जाट निवासी सियोलों का डेर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
13. आसूराम पुत्र देदाराम
14. सुखराम पुत्र देदाराम
15. धूडाराम पुत्र हरिंगाराम
16. बुधाराम पुत्र भारताराम जाति मेगवाल निवासी रोली
17. चिमनाराम पुत्र वागाराम
18. मेहराराम पुत्र वागाराम
19. वीरमाराम पुत्र चेनाराम
20. शेम्भूराम पुत्र चेनाराम जाति जाट निवासी रोली
21. चेतनराम पुत्र देदाराम
22. चनणाराम पुत्र देदाराम जाति मेगवाल निवासी खारी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
23. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 29.08.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा रोली पटवार क्षेत्र बांटा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 246/69 रकबा 3.0508 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि मौजा रोली पटवार क्षेत्र बांटा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 246/69 रकबा 3.0508 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु **भू-अभिलेख निरीक्षक पीपराली** को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29/8/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी